(एसडीओ) बाडमेर

आदेश

22.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र महाबार पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है, जो अविभाजित है। उक्त भूमि में प्रार्थी ने अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाने एवं प्रार्थी के काश्त व कब्जे में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत किया नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में नही है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित होने के कारण उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी किये जाने का कोई न्यायोचित कारण विध्यमान नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner